

वन अधिकार अधिनियम 2006 से सम्बंधित जिलाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण
पत्र उपलब्ध कराने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि टेरिटरी मैनेजर (रिटेल) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि० भूतल, 88-ए, गोवर्द्धन पुरवा, साकेत नगर, हमीरपुर रोड, कानपुर द्वारा जनपद फतेहपुर में फतेहपुर- बबेरू - अत्तरा- नरैनी- करतल मार्ग (SH-71) मार्ग के किमी०- 23 (चैनेज 22.038-22.098) के दायी पटरी पर, गाटा न० 28क, ग्राम- देवलान, तहसील- सदर, जिला- फतेहपुर (उत्तर प्रदेश) पर नए पेट्रोल पम्प / रिटेल आउटलेट की स्थापना में प्रभावित सरंक्षित वन भूमि 0.2760 हे० में बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में वन अधिकार अधिनियम 2006 से सम्बंधित जिलाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का प्रमाण पत्र जिलाधिकारी फतेहपुर के कार्यालय में प्रेषित की जा चुकी है, प्राप्त होते ही पृथक से प्रेषित किया जायेगा ।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, फतेहपुर


प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि०
कानपुर (रिटेल) टेरिटरी

SIDDHARTH JAIN
Chief Regional Manager
Kanpur Retail Regional Office
Hindustan Petroleum Corporation Limited